न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1227/2025

अनवान : –

1. निशान सिंह पुत्र गुरदीपसिंह जाति रायसिख निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. गुरदीप सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति रायसिख निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 04/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 136/136 के कुल खसरे 21 की कुंल तादादी 3.7950 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है लेकिन कर्ता खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त भूमि में वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 पैदायशी हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का पिता है समस्त भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के मन में लालच आ गया है तथा वह वादी को उसके हक हिस्सा से वंचित रखकर वादग्रस्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल के लिए आमादा है यदि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो वादी को भारी नुकशान होगा जिसकी पूर्ति बाद में किसी प्रकार से संभव नहीं है इसलिए वादी प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने का अधिकारी है। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण प्रतिवादी स0 1 को वादी के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है लेकिन कर्ता खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त भूमि में वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 पैदायशी हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का पिता है समस्त भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के मन में लालच आ गया है तथा वह वादी को उसके हक हिस्सा से वंचित रखकर वादग्रस्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल के लिए आमादा है यदि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो वादी को भारी नुकशान होगा जिसकी पूर्ति बाद में किसी प्रकार से संभव नहीं है इसलिए वादी प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने का अधिकारी है। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण प्रतिवादी स0 1 को वादी के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 के खाता संख्या 136/136 के कुल खसरे 21 की कुंल तादादी 3.7950 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है लेकिन कर्ता खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त भूमि में वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 पैदायशी हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का पिता

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है के नाम भूमि दर्ज है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 136/136 के कुल खसरे 21 की कुंल तादादी 3.7950 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 1227/2025
अनवान : –

1. निशान सिंह पुत्र गुरदीपसिंह जाति रायसिख निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. गुरदीप सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति रायसिख निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1227 सन 2025 निर्णय दिनांक 04/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 136/136 के कुल खसरे 21 की कुंल तादादी 3.7950 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर